

24.4.17.

मैंने वाद विद्वेष्टा कर लिया है -
अतः प्राथना-पत्र खारिज
कराया है।

शुभर (प्राथी)

राजगाराशयणी (अप्राथी)

पहुंचान कल
खिलावात

24/4/17
9785900735

प्राथी श्री शंकर लाल ने मूल वाद
में वाद आगे नहीं चलाने का प्राथना
पत्र पेश किया है। मूल वाद "खारिज"
किया जा चुका है। अतः प्राथना पत्र 212
रिज सादरीन होने से "खारिज" किया
जाता है। पत्रावली के सल शुभर होकर
जम्बर से कम की जावे व दारिखला
लेफ्टर हो।

उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

महाराष्ट्र, सिविल, इलाहाबाद

आपके नाम पर वाद नंबर है
निर्णय करने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
इसलिए मैंने वाद नंबर
को खारिज कर दिया है।
आपका नाम है
आपका पता है
आपका फोन नंबर है